

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर**

पीठासीन अधिकारी- श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./173/2025/बाडमेर


**अपीलांत**

जवाराराम पुत्र श्री देवाराम, कौम जाट, निवासी खोखसर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।

**रेस्पोडेंटगण**

1. खेताराम पुत्र श्री गोमाराम
2. भैराराम पुत्र श्री गोमाराम
3. कुंभाराम पुत्र श्री गोमाराम
4. खेताराम पुत्र श्री उदाराम
5. जेताराम पुत्र श्री उदाराम
6. भवेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवाराम
7. श्रीमती रुखियो देवी पत्नी श्री देवाराम
8. रूपाराम पुत्र श्री तगाराम
9. खेताराम पुत्र श्री भीखाराम
10. बाबूराम पुत्र श्री भीखाराम
11. डुंगराराम पुत्र श्री गुलाराम
12. लिखमाराम पुत्र श्री सोनाराम
13. श्रीमती फूली देवी धर्मपत्नी श्री लिखमाराम
14. श्रीमती खेतु देवी धर्मपत्नी श्री कुंभाराम
15. शांतिलाल पुत्र श्री कुंभाराम
16. पुनमाराम पुत्र श्री कुंभाराम
17. तुलछाराम पुत्र श्री कुंभाराम
18. मंगराज पुत्र श्री कुंभाराम
19. भीमाराम पुत्र श्री कुंभाराम, कौम जाट, निवासी मंहिगपुरा, खोखसर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा
20. गेनाराम पुत्र श्री आसुराम
21. हेमाराम पुत्र श्री आसुराम
22. मोटाराम पुत्र आसुराम
23. श्रीमती अणदू देवी धर्मपत्नी श्री आसुराम, कौम जाट, निवासी दानपुरा, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।
24. श्रीमती बाबू देवी धर्मपत्नी श्री हरखाराम
25. श्रीमती वाली देवी धर्मपत्नी श्री विशनाराम, कौम जाट, निवासी खारड़ा भारतसिंह, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा
26. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा परेरु, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।
27. श्री तहसीलदार, गिड़ा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/2023 बउनवान खेताराम बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाडमेर

अपील संख्या 173/2025 बउनवान जवाराम बनाम खेताराम वगैरह  
अपील संख्या 187/2025 बउनवान जवाराम बनाम खेताराम वगैरह

और

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./187/2025/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

जवाराराम पुत्र श्री देवाराम, कौम जाट, निवासी खोखसर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।	1. खेताराम पुत्र श्री गोमाराम 2. भैराराम पुत्र श्री गोमाराम 3. कुंभाराम पुत्र श्री गोमाराम 4. खेताराम पुत्र श्री उदाराम 5. जेताराम पुत्र श्री उदाराम 6. भवेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवाराम 7. श्रीमती रूखियो देवी पत्नी श्री देवाराम 8. रूपाराम पुत्र श्री तगाराम 9. खेताराम पुत्र श्री भीखाराम 10. बाबूराम पुत्र श्री भीखाराम 11. डुंगराराम पुत्र श्री गुलाराम 12. लिखमाराम पुत्र श्री सोनाराम 13. श्रीमती फूली देवी धर्मपत्नी श्री लिखमाराम 14. श्रीमती खेतु देवी धर्मपत्नी श्री कुंभाराम 15. शांतिलाल पुत्र श्री कुंभाराम 16. पुनमाराम पुत्र श्री कुंभाराम 17. तुलछाराम पुत्र श्री कुंभाराम 18. मगराज पुत्र श्री कुंभाराम 19. भीमाराम पुत्र श्री कुंभाराम, कौम जाट, निवासी मंहिगपुरा, खोखसर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा 20. गेनाराम पुत्र श्री आसुराम 21. हेमाराम पुत्र श्री आसुराम 22. मोटाराम पुत्र आसुराम 23. श्रीमती अणदू देवी धर्मपत्नी श्री आसुराम, कौम जाट, निवासी दानपुरा, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा। 24. श्रीमती बांबू देवी धर्मपत्नी श्री हरखाराम 25. श्रीमती वाली देवी धर्मपत्नी श्री विशनाराम, कौम जाट, निवासी खारड़ा भारतसिंह, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा 26. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा परेऊ, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा। 27. श्री तहसीलदार, गिड़ा, जिला बालोतरा।
---	---

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/2023 बउनवान खेताराम बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.07.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

(नयनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

**उपस्थिति:-**

1. वकील श्री हरीराम चौधरी:अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री गणेश कुमार रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पो. संख्या 3, 8, 12 से 15 व 17 से 19 की ओर से।
4. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पो. संख्या 2,5,7,9 व 10 की ओर से।
5. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

**:-निर्णय:-**

दिनांक:-24.09.2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/2023 बउनवान खेताराम बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2025 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही हैं। प्रत्येक अपील में अलग- अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील संख्या 173/2025 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा महिंगपुरा, पटवार मण्डल खोखर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1167 में 101.9806 हेक्टेयर की भूमि आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट/वादी बराबर बहिस्सा अनुसार कब्जा-काश्त है। उक्त हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरिये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द-बुर्द करना चाह रहे थे। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को अवसर दिये बिना ही एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी। जो विधि संगत नहीं है। जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा महिंगपुरा, पटवार मण्डल खोखर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1167 में 101.9806 हेक्टेयर की भूमि आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट/वादी बराबर बहिस्सा अनुसार कब्जा-काश्त है।

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

उक्त हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरिये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द-बुर्द करना चाह रहे थे। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बिना विधिक तामील के ही अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2025 को विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग व रहवासी ढाणी, मकान, टांके इत्यादि बने हुए का गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर मौका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। एक ही खातेदार को चार-चार जगह पर जमीन अकारण ही दी गई है। कुछ पक्षकारों को रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया तो कुछ पक्षकारों को तीन-तीन दिशाओं में रास्ता अनावश्यक उपलब्ध कराया है। अनावश्यक रास्ता उपलब्ध करवाने से हमारी भूमि कम हो गई। क्योंकि रास्ते की भूमि को सभी के खाते से कम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की गलत तरीके से तामील बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरीत जाकर अंतिम निर्णय दिनांक 22.07.2025 को पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबावदावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को

  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा महिगपुरा, पटवार मण्डल खोखर पश्चिम, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1167 में 101.9806 हेक्टेयर की भूमि आयी हुई है। जिसमें अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्ट्स का संयुक्त हक-हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पों. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया: विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा हैं। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 (वादीगण) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस पर सम्मनों की सम्यक

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की हैं। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काश्त अनुसार बराबर-बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।


अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/2023 बउनवान खेताराम बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2025 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.07.2023 विधि विरुद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबाबदावे के


(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपील संख्या 173/2025 बउनवान जवाराम बनाम खेताराम वगैरह  
अपील संख्या 187/2025 बउनवान जवाराम बनाम खेताराम वगैरह

आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

  
24/9/2025  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
24/9/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर